न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 29 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/32)
पंजीयन दिनांक– 04.02.2021
निर्णय दिनांक– 17.08.2021

1. श्री किशन पिता भागीरथ गुर्जर, निवासी सेंती, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. एग्रीकल्चर विभाग (कृषि विभाग), उप निदेशक कृषि (राज्य) ग्राह्य अनुसंधान केन्द्र एटीसी फार्म कृषि उपज मण्डी के पास निम्बाहेडा रोड चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़।
3. श्री शंकर पिता भागीरथ गुर्जर, निवासी सेंती चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
4. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जरिये अधीक्षण अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इण्डस्ट्रीज ऐरिया, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
6. राजस्थान सरकार संयुक्त राजस्थान सचिव कृषि (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री नरेश जणवा – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स संख्या 1, 2, 5 व 6
3. श्री भानु भटनागर – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश
क्रमांक / राजस्व / 12–3(1)19 / 404 दिनांक 03.06.2020

निर्णय

दिनांक 17.08.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/राजस्व/12–3(1)19/404 निर्णय दिनांक 03.06.2020 के विरूद्ध दिनांक 04.01.2021 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 04.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सेंती, जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित आराजी नम्बर 817 रकबा 0.50 हैक्टेयर के पुराने आराजी नम्बर 537 मी रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा भूमि अपीलांट के दादा भूरा पिता जोधा के नाम से 1/2 हक अनुसार व 1/2 हक अनुसार हेमा पिता रामा के नाम दर्ज थी। आराजी नम्बर 817 रकबा 0.50 हैक्टेयर पूर्व में एग्रीकल्चर विभाग, चित्तौड़गढ़ के नाम से खातेदारी के रूप में दर्ज थी। परंतु वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश क्रमांक/राजस्व/12–3(1)19/404 निर्णय दिनांक 03.06.2020 से अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, चित्तौड़गढ़ के नाम पर उक्त भूमि का कुछ भाग दर्ज कर दिया गया है। उक्त वर्णित विवादित आराजी को पूर्व में एग्रीकल्चर विभाग, चित्तौड़गढ़ व वर्तमान में कुछ भाग अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, चित्तौड़गढ़ नाम दर्ज किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश जणवा उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री भानु भटनागर उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 5 व 6 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 06.08 .2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि आरजी नम्बर 817 के पुराने अराजी 537 मी रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा जिसमें 1/2 हक हेमा पिता रामा और 1/2 हक प्रार्थी के दादा भूरा पिता जोधा के नाम से दर्ज थी, परंतु उक्त आराजी का संपूर्ण रकबा इंतकाल संख्या 60 के जरिये बिना किसी आधार के रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम पर दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि को रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट के दादा से भूमि कानूनी रूप से अपाप्त किये बगैर कोई मुआवजा दिये अपने नाम दर्ज करवा ली। इंतकाल संख्या 60 के जरिये आराजी नम्बर 537 मी जो एग्रीकल्चर विभाग के नाम पर दर्ज हुई है उस इंतकाल में ऐसा कोई आधार नही बताया है कि उक्त भूमि को अवाप्त की गई और उसे मुआवजा दिया गया है तथा यह भी अंकित नही है कि खातेदारी आराजीयात को एग्रीकल्चर विभाग के नाम दर्ज किया जावे जबकि इंतकाल संख्या 60 में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि अराजी नम्बर 537 मी. की मंजूरी नही हुई है। अपीलांट की पैतृत आराजीयात 537 मी के आस–पास की कई बीघा भूमि एग्रीकल्चर विभाग द्वारा ली गई है जिसका दाखला इंतकाल संख्या 60 खुलवाया गया है उसके साथ अन्य अराजी का भी हवाला है इतने नम्बरों के साथ भूल से आराजी नम्बर 537 मी रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा भूमि से अपीलांट वगैराह का नाम हटाकर एग्रीकल्चर विभाग के नाम पर दर्ज कर दी। सम्वत 2017 से 2020 की जमाबंदी में 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि आराजी नम्बर 537 मी. की अपीलांट के दादा वगैराह के नाम पर दर्ज थी। एग्रीकल्चर विभाग

की और से अराजी नम्बर 817 पर बाउण्ड्री बनाने का प्रयास किया गया था विवाद होने से बाउण्ड्री अधुरी छोडी, परंतु एग्रीकल्चर विभाग द्वारा 1 जनवरी 2014 को उक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा छीन लिया जिस पर अपीलांट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ में वर्ष 2014 में उक्त भूमि के संबंध में घोषणात्मक तथा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जा चुका था। उक्त मामले के विचाराधीन होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 03.06.2020 को अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को उक्त भूमि में से 7116.6 वर्गफिट आवंटित कर दी। इस कारण उक्त आवंटन प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है। साथ ही अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4 ने अपनी बहस में बताया कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की मांग, उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के प्रस्ताव, सचिव, नगर विकास प्रन्यास की अनापत्ति, कृषि (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर की सहमति अनुसार ग्राम सेंती, तहसील चित्तौड़गढ़ की कृषि विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड आराजी में से 7116.6 वर्गफिट भूमि को कृषि विभाग के नाम से कम कर अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के पक्ष में 33/11 के. वी. जी.एस.एस. निर्माण हेतु अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के पक्ष में 99 वर्ष की लीज पर आवंटित की गई। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.06.2020 नियमानुसार होकर उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स संख्या 1, 2, 5 व 6 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.06.2020 नियमानुसार होकर उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

पारित निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि किसी भी अपील प्रकरण में आदेश 41 जा.दी. के तहत अपील प्रस्तुत करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय के पक्षकारों का ही होता है, अन्यथा किसी भी पक्षकार को न्यायालय की अनुज्ञा दफा 96 जा.दी. के तहत प्रस्तुत कर ही अपील प्रस्तुत किये जाने का अधिकार रहता है। दफा 96 जा. दी. आवेदन में अपीलाण्ट को पृथक से आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण में आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार होने के कारण दर्शित करते हुए न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त कर ही वह अपील प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकरण में दफा 96 जा.दी. के आख्यापक प्रावधानों के तहत कोई आवेदन अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा कोई आवेदन दफा 96 जा.दी. का प्रस्तुत कर न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना जो अपील प्रस्तुत की गयी है, वह विधि के आख्यापक प्रावधानों के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर